	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	श्रावण 9, बुधवार, शाके 1941–जुलाई 31, 2019 *Sravana 9, Wednesday, Saka 1941–July 31, 2019*	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 31, 2019

संख्या प.18(12)नविवि/जयपुर/2018 :–एकीकृत भवन विनियम–2017 के विनियम 8.3.1 (i) एवं 5.4(4)(i) व (ii) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

"8.3.1(i) राज्य के नगरीय क्षेत्रों में बहुमंजिला भवनों के कुल गणना योग्य निर्मित क्षेत्र पर अग्निशमन शुल्क निम्नानुसार देय होगा।

क्र.स.	प्रस्तावित भवन की ऊँचाई	देय शुल्क (बी.ए.आर. क्षेत्रफल पर)
.	15 मीटर से अधिक परन्तु 40 मीटर ऊँचाई तक	रू. 100/– प्रति वर्गमीटर
.	40 मीटर से अधिक परन्तु 60 मीटर ऊँचाई तक	• रू. 100/– प्रति वर्गमीटर (40 मीटर ऊँचाई तक) • रू. 150/– प्रति वर्गमीटर (40 मीटर से अधिक 60 मीटर ऊँचाई तक)
.	60 मीटर से अधिक	• रू. 100/– प्रति वर्गमीटर (40 मीटर ऊँचाई तक) • रू. 150/– प्रति वर्गमीटर (40 मीटर से अधिक 60 मीटर ऊँचाई तक) • रू. 200/– प्रति वर्गमीटर (60 मीटर से अधिक ऊँचाई पर)

उक्त राशि आवेदक द्वारा स्थानीय निकाय में जमा करायी जावेगी एवं निर्माण अनुज्ञा जारी करने वाले प्राधिकरण/न्यास में जमा राशि की रसीद प्रस्तुत की जावेगी।"

1.4 नगरीय निकायों में अग्निशमन शुल्क (फायरसेस) के तहत जमा करवाये जाने वाली राशि हेतु नियमानुसार राशि संबंधित नगरीय निकाय के खाते में जमा कराये जाने के स्थान पर निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग के अधीन एक अलग केंद्रीकृत ESCROW ACCOUNT में जमा करायी जावेगी। नगरीय निकायो की आवश्यकतानुसार अग्निशमन उपकरणों की केंद्रीयकृत खरीद डी.एल.बी. स्तर से की जाकर संबंधित नगरीय निकाय को हस्तान्तरित की जावेगी।

1.5 एकीकृत भवन विनियम–2017 के प्रावधानानुसार अग्निशमन शुल्क (फायरसेस) की राशि संबंधित नगरीय निकाय में ही जमा करवायी जानी है तथा निर्माण अनुज्ञा देने वाली विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास में जमा राशि की रसीद प्रस्तुत की जानी है।

"5.4(4) पूर्व स्वीकृत योजना भूखण्डो में

(i) स्थानीय निकाय/निजी विकासकर्ताओं की स्वीकृत योजनाओं में आवंटित/नीलामी द्वारा विक्रय किये गये निर्मित भवन का विस्तार चाहे जाने अथवा रिक्त/निर्माण तोड़ कर नया भवन प्रस्तावित होने पर भूखण्डों में आवेदक के चाहे जाने पर परियोजना स्वीकृति के समय लागू भवन विनियमों के अनुसार समस्त मानदण्ड रखते हुए निर्माण स्वीकृति/भवन विस्तार की अनुमति देय होगी। लेकिन समस्त देय शुल्क वर्तमान भवन विनियमों के अनुसार देय होंगे।

(ii) आवेदक द्वारा प्रस्तावित करने पर भवन निर्माण स्वीकृति/विस्तार की अनुमति वर्तमान भवन विनियमों के अनुसार निम्न शर्तो की पूर्ति करने पर दी जा सकेगी :–

(क) भूखण्ड एवं उस पर निर्मित भवन ईकाईयों (यदि निर्मित हो) पर आवेदक का एकल स्वामित्व हो अर्थात भूखण्ड या उस पर निर्मित भवन के किसी भाग का विक्रय/आवंटन/किसी पंजीकृत/अपंजीकृत दस्तावेज द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया गया हो। तथापि यदि निर्मित भवन ईकाईयों के समस्त स्वामी सामुहिक रूप से अथवा समस्त स्वामियों की और से अधिकृत व्यक्ति/संस्था/विकासकर्ता के माध्यम से आवेदन किया जाता है तो नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति/विस्तार की अनुमति दी जा सकेगी।

(ख) न्यूनतम अग्र सैटबैक मूल भूखण्ड/परियोजना स्वीकृति के अनुसार निर्धारित अथवा वर्तमान भवन विनियमों के अनुसार, जो भी अधिक हो रखने होंगे। अन्य सैटबैक वर्तमान प्रचलित भवन विनियमों के अनुसार देय होंगे।

(ग) पूर्व में परियोजना स्वीकृति के समय देय भू–आच्छादन, ऊँचाई या एफ.ए.आर. से अधिक भू–आच्छादन, ऊँचाई या एफ.ए.आर. वर्तमान भवन विनियमों के अनुसार अनुज्ञेय किये जाने पर पूर्व में स्वीकृत सकल निर्मित क्षेत्र को मानक निर्मित क्षेत्र माना जाकर अतिरिक्त प्राप्त होने वाले निर्मित क्षेत्र पर नियमानुसार बैटरमेन्ट लेवी देय होगी तथा राज्य सरकार की अन्य प्रचलित नीति यथा मुख्यमंत्री जन आवास योजना, पर्यटन नीति आदि से संबंधित छूट देय नहीं होंगी।

(घ) अन्य समस्त मानदण्ड वर्तमान विनियमों के अनुसार रखने होंगे।''

राज्यपाल की आज्ञा से,
हृदेश कुमार शर्मा,
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।